

# फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जपपु)

बनाम रामकुमार साधु  
93/2021

संख्या / वर्ष

दिनांक आज्ञा या अहकाम की	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
--------------------------	----------------------	-------------

27/6/21

यह वाद कौम्य गांधी में वादी की ओर से कतबत द्वारा 88 RT नियम के तहत प्रेष किया। वाद दर्ज रजिस्टर हो तदानीलए कांठी की रिपोर्ट पत्रपुली में शांति हो पत्रपुली ताराप हव दिनांक 28/7/21 को प्रेष हो

रामकुमार

उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़

28/7/22

जजावली पेशा हुई। वादी (समूह उप.) वादी की ओर से जवाह मोहन लाल शर्मा व हनुमान लाल शर्मा उप. तथा वादी साक्षी हेतु राजव्य पत्र पेश किये एवं वादी द्वारा साक्षी के रूप में अन्य जवाह सीतादेवी पत्नी बनवारी लाल, कुलदीप कुमार पुत्र बनवारी लाल, राधेश्याम शर्मा पुत्र उभाही लाल के राजव्य पत्र पेश किये। जिनको शांति पत्रपुली की जा गणना अधिलक्ष्य संघ द्वारा कार्रवाई किये जाकर करने पर जजावली प्रकृतिगत दिनांक 8/8/22 को पेश हुई।

21/3/22

मोहन लाल  
(साक्षी)

उभाही  
(साक्षी)

8/8/22

जजावली पेश हुई। आधेवकत सब जवाह 3 प्रडॉलेस/कार्य का बहिष्कार करने पर जजावली पूर्ववत् दिनांक 15/9/22

15/9/22

जजावली पेशा हुई। 8.0.22 मन्त्र सचिव का मन्त्र लाहुरे के जजावली प्रकृतिगत दिनांक 16/9/22 को पेश हो

रामकुमार  
15.9.22

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/9/22	<p>1 पत्रावली पेश हुई। <u>करीब 300/1933</u></p> <p>( पत्रावली पूर्वानुसार नमस्ते तलवी/जवान- दिनांक <u>27/9/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">27</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जनपद रायगढ़</p>
	27/9/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एच. 390, वादी को हुना गज्ज। वादी को हुने क- पत्रावली का अदालत कलेक्ट वारी को वाद गुणावगुणों के आधार पर अदालत कलेक्ट खारिज किया जाय हो। पत्रावली केवल शुभार होकर नमस्ते तलवी हो। वाद खति काविल दफ्तार हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जनपद रायगढ़</p>